न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना – कुचामन) राज.
पीठासीन अधिकारी :– बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
कालू पुत्र हीराराम जाट		1. जस्साराम दत्तक पुत्र रामनारायण बागड़ा
निवासी परबतसर		2. धीरज बागड़ा पुत्र जस्साराम बागड़ा
		3. सुमन बागड़ा पत्नी धीरज बागड़ा
		जाति ब्राहम्ण निवासी परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए

उपस्थित :– श्री देवेन्द्र मालाकार , अधिवक्ता प्रार्थी

मुकदमां नम्बर :– 2021/264 निर्णय दिनांक :– 29.1.24

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र मालाकार ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 558 रकबा 1.55 हैक्टयर व खसरा नम्बर 561 रकबा 2.03 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका उपयोग उपभोग करने हेतु प्रार्थी की भूमि के चारो तरफ कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी को खसरा नमबर 560 रकबा 0.69 हैक्टयर में से पश्चिमी तरफ दक्षिणी सींव के नजदीक उत्तर से दक्षिण 20 फुट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 558, 561 के उपयोग उपभोग हेतु घोषित करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार परबतसर को मौका कमीशनर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। दिनांक 23.02.2022 को अप्रार्थीगण के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बाद बार बार अवाज लगाये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः राजस्व/144 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल की गई।

3. हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सुनी जाकर विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)

4. प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने सम्वत 2074–2077 की जमाबन्दी पेश की है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 558 रकबा 1.55 हैक्टयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 561 रकबा 2.03 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 560, 562 कुल रकबा 6.57 हैक्टयर भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार परबतसर की मौका रिपोर्ट के अनुसार नजरी नक्शे में लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया जो प्रार्थी के मांग के अनुसार नहीं है क्योंकि खसरा न्मबर 560 के बजाय खसरा नम्बर 559 नजदीक पड़ता है जो प्रस्तावित रास्ता सरकारी भूमि गै.मु. रास्ते को जोड़ता हुआ है प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ता न्यूनतम दूरी का ध्यान में रखते हुए रास्ता प्रस्तावित किया गया। प्रार्थी के पास मांगे गये खसरा नम्बर 560 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 559 में नजदीक पड़ता है इसके अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 558, 561 के उपयोग उपभोग हेतु खसरा नम्बर 560 मे से मांग की गई है, जबकि मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 561 में जाने जाने हेतु सबसे नजदीकी कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 559 की दक्षिणी सीमा पर लगता हुआ है। खसरा नम्बर 559 की पूर्वी सीमा पर रास्ते की दूरी मात्र 24 मीटर है जबकि खसरा नम्बर 560 पश्चिमी सीमा पर जहां से प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है उसकी दूरी 32 मीटर है। प्रार्थी के नजदीकी रास्ता खसरा नम्बर 559 में से मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया। लेकिन प्रार्थी खसरा नम्बर 559 में से रास्ते की मांग नहीं की है न ही खसरा नम्बर 559 के खातेदारो को पक्षकार मुकदमां बनाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रतिपादित नियमों के तहत किसी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग हेतु रास्ते की आवश्यकता हो,तो सबसे नजदीकी कटाणी रास्ते से लगती हुई भूमि में से ही मांग किये जाने का प्रावधान है। लेकिन प्रार्थी ने लम्बी दूरी से रास्ते की मांग की है, जो उचित नहीं हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए साबित करने में असफल रहा है। जिससे प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.1.24 ....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (डीडवाना - कुचामन)